अभय
विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स,
प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को,
परियोजना निदेशक, ई-सुविधा,
राज्य समन्वयक, सीईजी

अर्द्धशा.प.सं. CeG/P/42/753/।
उत्तर प्रदेश शासन
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
लखनऊ :दिनॉकः 22 मार्च, 2013

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया पूर्व प्रेषित शासनादेश संख्या १५२७/७८-२-२०१३-५३आई.टी./२०१२ दिनांक २०.०२.२०१३ (छायाप्रति संलग्न) का पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से दी जा रही शासकीय सेवाओं हेतु यूजर चार्जेज़ के निर्धारण एवं उसके विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण की नयी व्यवस्था दिनांक ०१.०४.२०१३ से प्रभावी करने के उद्देश्य से दिनांक १०.०३.२०१३ तक समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये इसकी लिखित सूचना राज्य समन्वयक, सी.ई.जी. को पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

२. उपरोक्त के क्रम में सी.ई.जी. के पत्र सं. CeG/P/3/II/690/13 दिनांक २८.०२.२०१३ के माध्यम से उक्त शासनादेश की प्रति पुनः प्रेषित करते हुये उसके बिन्दु सं.-६(II) के अनुसार कार्यवाही कर डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी का स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जनपद स्थित किसी शाखा में बैंक एकाउन्ट खुलवाकर उसका विवरण राज्य समन्वयक, सी.ई.जी. को पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था परन्तु उक्त सूचना सी.ई.जी. में अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

३. अवगत कराना है कि उक्तानुसार अंश वितरण की नयी व्यवस्था में लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों पर सेवाओं के विरूद्ध प्राप्त होने वाली यूजर चार्जेज़ की धनराशि में से सेवा सम्बन्धी विभागों, डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के अंश को लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र संचालकों के खातों से सी.ई.जी. के खाते में ट्रान्सफर एन.एस.डी.एल. डाटाबेस मैनेजमेन्ट लि. (एन.डी.एम.एल.) के ई-पेमेन्ट गेटवे का उपयोग कर किया जाना प्रस्तावित है। लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा प्रतिदिन केन्द्रों पर सेवाओं हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के विरूद्ध स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अग्रिम (प्रि-पेड) व्यवस्थान्तर्गत अपनी सुविधानुसार धनराशि सी.ई.जी. के खाते में ट्रान्सफर की जायेगी जिसका समायोजन इन केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रत्येक विभागीय सेवा के विरूद्ध प्राप्त होने वाली धनराशि के आधार पर उसमें से सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के अंश की कुल धनराशि के आगणन के समतुल्य किया जायेगा। इस प्रक्रिया का उदाहरण संलग्नक-१ पर उपलब्ध है।

४. उपरोक्तानुसार लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से अग्रिम (प्रि-पेड) व्यवस्थान्तर्गत सी.ई.जी. के खाते में धनराशि ट्रान्सफर के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन पर केन्द्र संचालकों के खाते से एन.डी.एम.एल. द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त रूप में ट्रान्ज़ेक्शन चार्जेज़ को स्वतः काटे जाने की व्यवस्था हैः-

क्रमशः....२

संलग्नक-१

अग्रिम (प्रि-पेड) व्यवस्थान्तर्गत लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र संचालकों के खातों से सी.ई.जी. के खाते में धनराशि के ट्रान्सफर हेतु प्रक्रिया का उदाहरण

1. यदि कोई लोकवाणी केन्द्र/ जन सुविधा केन्द्र संचालक स्टेट पोर्टल/ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ५० की संख्या में शासकीय सेवाओं आम जन को उपलब्ध कराता है तो उसको इन सेवाओं के विरूद्ध रु. १०००/- (खतौनी की नकल छोड़कर) की धनराशि प्राप्त होगी।
2. उपरोक्तानुसार प्रत्येक सेवा हेतु विभिन्न स्टेक होल्डर्स (सी.ई.जी. के रू. २/-, लोकवाणी/डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी के रू. ३/- एवं सेवा सम्बन्धित विभाग के रू. ५/-) के कुल अंश रु. १०/- के अनुसार ५० सेवाओं हेतु धनराशि का कुल अंश रु. ५००/- होगा।
3. नवीन व्यवस्था के अनुसार लोकवाणी केन्द्र/ जन सुविधा केन्द्र संचालक स्टेट पोर्टल/ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध **एन.डी.एम.एल. के लिंक/ ई-पेमेन्ट गेटवे से** रु. ५००/- की धनराशि का अग्रिम (प्रि-पेड) रिचार्ज कराना होगा। लोकवाणी केन्द्र/ जन सुविधा केन्द्र स्तर से उक्त रिचार्ज हेतु किये जाने वाला ट्रान्जेक्शन एक ट्रान्जेक्शन कहलायेगा। इस प्रक्रिया में लोकवाणी केन्द्र/ जन सुविधा केन्द्र संचालक के एकाउन्ट में एक न्यूनतम बैलेन्स हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा केन्द्र संचालक को अपना एकाउन्ट पुनः रिचार्ज करने हेतु स्वतः अवगत कराया जायेगा।
4. लोकवाणी केन्द्र/ जन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा **उपरोक्तानुसार रिचार्ज किये जाने हेतु किये जाने वाले प्रत्येक ट्रान्जेक्शन पर रिचार्ज की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त पत्र के बिन्दु-४ की तालिकानुसार केन्द्र संचालक के खाते से एन.डी.एम.एल. द्वारा ट्रान्ज़ेक्शन चार्जेज़ काटे जायेंगे।**